कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 91 / 2025

प्रमोद कुमार निवासी जुगला पट्टी कॉलोनी उच्चैन जिला भरतपुर पिन कोड 321302 मो.नं. 9461071547

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी उच्चैन

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 02.01.2026

प्रमोद कुमार निवासी जुगला पट्टी कॉलोनी उच्चैन जिला भरतपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील सं0 060884653104937 से इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी / अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी उच्चैन से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 1051 दिनांक 26.12.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी उच्चैन से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी उच्चैन का जबाब पत्रांक आरटीआई / 2026 / 01 दिनांक 02.01.2026 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी / प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई हैं, प्रार्थी ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी उच्चैन से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब पत्रांक आरटीआई / 2026 / 01 दिनांक 02.01.2026 में उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

चाही गई सूचना अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका उच्चैन द्वारा अपने पत्रांक न.पा.उ. / 2026 / 4646 दिनांक 01.01.2026 से उपखण्डाधिकारी उच्चैन को एवं पत्रांक 4647–49 दिनांक 01.01.2026 से प्रार्थी को भी सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब एवं संलग्न पत्रादि के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि निकल जाने के उपरान्त सूचना उपलब्ध कराई गई है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निश्चित समय सीमा का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी उच्चैन / अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका उच्चैन द्वारा निर्धारित समय सीमा के पश्चात सूचना उपलब्ध कराई गई है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी उच्चैन / अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका उच्चैन को हिदायत दी जाती है कि वह भविष्य में आर.टी.आई. 2005 के तहत चाही गई सूचनायें तय समय सीमा में ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी उच्चैन से प्राप्त जबाब पत्रादि से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी उच्चैन /अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका उच्चैन को भेजकर हिदायत दी जाती है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र द्वारा चाही गई सूचना निर्धारित समय सीमा में ही उपलब्ध करांया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर